प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

3156-75

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू. / एम.आई.एस. / डीवीडीएमएस / 2018–19 / 66ए /   दिनांक 26/05/18

विषय– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **DVDMS** परियोजना को ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईयों में क्रियान्वित किये जाने हेतु 820 ब्लाक पर कम्प्यूटर/प्रिन्टर/यू0पी0एस0 क्रय एवं स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

डी0वी0डी0एम0एस0 परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों (सी0एम0ओ0 भण्डार/स्टोर) एवं चिकित्सालयों के अन्तर्गत क्रियाशील औषधि भण्डार/स्टोर में डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर को दिनांक 07.06.2017 को क्रियाशील किया जा चुका है। परियोजना के द्वितीय चरण में उक्त डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर को प्रदेश के 820 ब्लाक पर सी0एच0सी0 स्तर पर भी लागू किया जाना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा second SROP 2017–18 के अन्तर्गत मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद B.15.3.3.1 Implementation of DVDMS में ब्लाक स्तर पर (Computer/Printer @Rs. 55,000@per CHC Internet for Six month @Rs. 1000 per CHC) कुल रू0 500.20 लाख का बजट निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रक्षित कराया गया है। विवरण निम्नवत् है–

FMR Code	Budget Head	Amount Approved (Rs. In Lakhs)	Remarks
B15.3.3.1	Implementation of DVDMS	500.20	Approved Rs. 500.20 Lakh per following details (i) Rs. 451.00 Lakh for 820 computers/printers for 820 CHCs @ Rs. 55,000/- per computer/ printer/Ups (ii) Rs. 49.20 Lakh for internet connectivity @Rs. 1,000/- per month per CHC for 6 months All procurement should be done as per extant rules following Government protocols

रक्षित करायी गयी धनराशि से प्रदेश के 820 ब्लाकों पर कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 क्रय एवं स्थापित किये जाने हेतु रू0 451.00 लाख की धनराशि निम्नानुसार जनपदों को निम्न तालिकानुसार स्वीकृत की जा रही है। उक्त का व्यय जनपद पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं DHAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

FMR Code B15.3.3.1 "Procurement of Computer/Printer/UPS for 820 block units"

Sl.No.	Name of District	No. of Block	Computer/Printer/UPS@ Rs. 55,000 per block (No. of Block *55,000)
1	2	3	4
1	Agra	15	825000
2	Aligarh	12	660000
3	Allahabad	20	1100000
4	Ambedkar Nagar	9	495000
5	Amethi	13	715000
6	JP Nagar	6	330000
7	Auraiya	7	385000
8	Azamgarh	22	1210000
9	Bagpat	6	330000
10	Bahraich	14	770000
11	Ballia	17	935000
12	Balrampur	9	495000
13	Banda	8	440000
14	Barabanki	15	825000
15	Bareilly	15	825000
16	Basti	14	770000
17	Bijnor	11	605000

Scanned by CamScanner

18	Budaun	15	825000
19	Bulandshahar	16	880000
20	Chandauli	9	495000
21	Chitrakoot	5	275000
22	Deoria	16	880000
23	Etah	8	440000
24	Etawah	8	440000
25	Faizabad	11	605000
26	Farrukhabad	7	385000
27	Fatehpur	13	715000
28	Firozabad	9	495000
29	G B Nagar	4	220000
30	Ghaziabad	4	220000
31	Ghazipur	16	880000
32	Gonda	16	880000
33	Gorakhpur	19	1045000
34	Hamirpur	7	385000
35	Hapur	4	220000
36	Hardoi	19	1045000
37	Hathras	7	385000
38	Jalaun	9	495000
39	Jaunpur	21	1155000
40	Jhansi	8	440000
41	Kannauj	8	440000
42	Kanpur Dehat	10	550000
43	Kanpur Nagar	10	550000
44	Kasganj	7	385000
45	Kaushambi	8	440000
46	Kushinagar	14	770000
47	Lakhimpur Kheri	15	825000
48	Lalitpur	6	330000
49	Lucknow	8	440000
50	Maharajganj	12	660000
51	Mahoba	4	220000
52	Mainpuri	9	495000
53	Mathura	10	550000
54	Mau	9	495000
55	Meerut	12	660000
56	Mirzapur	12	660000
57	Moradabad	8	440000
58	Muzaffarnagar	9	495000
59	Pilibhit	7	385000
60	Pratapgarh	17	935000
61	Rae Bareli	18	990000
62	Rampur	6	330000
63	Saharanpur	11	605000
64	Sambhal	8	440000
65	Sant K Nagar	9	495000
66	S Ravidas Nagar	6	330000
67	Shahjahanpur	15	825000
68	Shamli	5	275000
69	Shrawasti	5	275000
70	Siddharth Nagar	14	770000
71	Sitapur	19	1045000
72	Sonbhadra	8	440000
73	Sultanpur	13	715000
74	Unnav	16	880000
75	Varanasi	8	440000
	Total	**820**	**4,51,00,000**

उपरोक्त धनराशि ब्लाक स्तर पर डी0वी0डी0एम0एस0 परियोजना संचालित करने हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 क्रय किये जाने हेतु अवमुक्त की जा रही है, राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर पर डाटा फीडिंग सम्बंधी कार्य फार्मासिस्ट अथवा उक्त कार्य हेतु अधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जाना है। भारत सरकार स्तर से डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर संचालन हेतु पृथक से मानव संसाधन की स्वीकृत नहीं की गयी है, अतः सम्बन्धित ब्लाक में

Scanned by CamScanner

डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर पर डाटा फीडिंग सम्बंधी कार्य ससमय निष्पादित किये जाने की पूर्ण रूपेण जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

क्रय संबंधी मानक–

उक्त मद में स्वीकृत धनराशि को निम्नानुसार निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाना है–

1 डी0वी0डी0एम0एस0 परियोजना के सफल संचालन हेतु "Procurement of Computer/Printer/UPS" के अन्तर्गत 01 डेस्क टॉप कम्प्यूटर, 01 लेजर प्रिंटर, 01 यू0पी0एस0 क्रय के लिये अधिकतम रू0 55,000.00 (रु0 पचपन हजार मात्र) की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है, सम्बन्धित उपकरणों के क्रय सम्बंधी न्यूनतम तकनीकी स्पेशिफिकेशन निम्नवत् है–

- Desktop Computer : Intel Core i3 or above, 3.2 GHZ or above, 4GB DDR3 SDRAM or above, min 500 GB HDD, DVD R/W, Keyboard, Optical Mouse, 10/100/1000 bbps Network adaptor, min 18.5 " screen, windows 10 or above
- Laser printer : min 18 ppm or above, print quality black (best)- up to 600*600 dpi (1200 dpi effective) Resolution Technology- Fast Res 1200, Processor Speed-Min 400 MHz,
- 600 VA offline UPS or above.

2 आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना (Computer/Printer/UPS) के लिये उपरोक्त तालिका के कॉलम सं0–04 के अनुसार आपके अधीन समस्त सी0एच0सी0 हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है, जिसका उपयोग प्रत्येक ब्लाक पर डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर संचालन हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 को क्रय किये जाने हेतु ही किया जाना है।

3. प्रदेश के 820 ब्लाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईयों में नवीन कम्प्यूटर, लेजर प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 के एक सेट हेतु अधिकतम धनराशि रू0 55,000/– प्रति स्वास्थ्य इकाई प्राविधानित है।

4. डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर को सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईयों पर संचालित किये जाने हेतु कम्प्यूटर/प्रिन्टर/यू0पी0एस0 का क्रय वर्तमान में लागू नियमों के अन्तर्गत GeM Portal (www.gem.gov.in) के द्वारा किया जाना है।

व्यय सम्बन्धी दिशा–निर्देश –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यकम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

Scanned by CamScanner

कृपया उक्त मानकों के अनुसार B15.3.3.1 (Implementation of DVDMS) मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः–एस.पी.एम.यू. / एम.आई.एस. / डीवीडीएमएस / 2018–19 / 66ए / तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणं, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन (यू0पी0एम0एस0सी0)।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. अधिशासी निदेशक, तकनीकी सहयोग इकाई, , उ0प्र0।
7. समस्त अपर मण्डलीय निदेशक, उ0प्र0।
8. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, को इस आशय से कि प्रेषित पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 को ससमय दिशा–निर्देशों के अनुरूप कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु।
11. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रवंधक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 को ससमय दिशा–निर्देशों के अनुरूप कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु।

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक (एम0आई0एस0)

Scanned by CamScanner